

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- / / 2018

विषय :- चाईबासा-काण्डू-चौका पथ के चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण हेतु 4.526 हे० वनभूमि
अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक-5-JHB256/2014-BHU/60 दिनांक-10.06.2015 द्वारा
विषयक परियोजना में दी गई स्टेज-II की स्वीकृति में लगाये शर्तों का आपके पत्रांक-5372 दिनांक-14.12.
2017 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयगत
परियोजना में सन्निहित कुल-4.526 हे० अधिसूचित वनभूमि विमुक्त किया जाता है।

कृपया सरकार के निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-36/2013-

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन,
अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं०-A-2, श्यामली कॉलोनी,
राँची-834002 को अनुपालन प्रतिवेदन की छायाप्रति सभी अनुलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-36/2013-

व०प०, राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड,
राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/वन प्रमंडल
पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल,
सरायकेला-खरसावाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वन भूमि-36/2013- 520

व०प०, राँची, दिनांक- 05/02/18

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website
"forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव